संख्या -82/21-उर्दू -1-2018(391/2017)

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,

फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी

विभूति खण्ड,गोमती नगर,

लखनऊ।

भाषा (उर्दू) अनुभाग-1 लखनऊःदिनांक 10 अप्रैल ,2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी की योजनाओं के संचालनार्थ प्रथम किस्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय , फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी को उनकी योजनाओं एवं क्रियाकलापों के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम किस्त के रूप में रू० 32.50 लाख (रूपये बत्तीस लाख पचास हज़ार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित नियम व शर्तो / प्रतिबन्धों तथा दिशा निर्देशों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धो

1- उक्त धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा और इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य मदों/कार्यक्रमों पर व्यय न किया जाय तथा अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र दिनांक 15 अक्टूबर ,2018 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2- स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित नहीं की जायेगी बल्कि आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक कोषागार से आहरित की जायेगी और नियमानुसार ही सक्षम अधिकारी की अनुमति से व्यय की जायेगी तथा बिल आहरण एवं वितरण अधिकारी,भाषा विभाग,उ०प्र० शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए में दिये गये है। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के शासनदेश सॅख्या-1/2018/बी-1-375 /दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च ,2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त के अतिरिक्त स्थायी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उपर्युक्त स्वीकृत रू०32.50 लाख (रूपये बत्तीस लाख पचास हज़ार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक **अनुदान सॅख्या**-039 के **लेखा शीर्षक**-2202-सामान्य शिक्षा –आयोजनेत्तर -05-भाषा विकास -102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्द्धन -07-स्व.फखरूद्दीन अली अहमद स्मारक समिति को अनुदान -20 -सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5 - ये आदेश वित्त(आय –व्ययक)अनुभाग-1 के सॅख्या-1/2018/बी-1-375 /दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च ,2018 के प्रस्तर 2(6) द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे है|

भवदीय,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या -82/21-उर्दू -1-2018(391/2017)तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वित्तीय ,उ०प्र० प्रयागराज।

2- निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा,उ०प्र० प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल के लेखों का सम्परीक्षण प्रतिवेदन शासन को यथासमय भेजने का कष्ट करें।

3- -कोषाधिकारी,कलेक्ट्रेट ,लखनऊ।

4- आहरण एवं वितरण अधिकारी,भाषा विभाग,उ०प्र० शासन।

5- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-7/

6- वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1

7-भाषा उर्दू अनुभाग-4

8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
हरि बख्श सिंह
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in